



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9090

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41784 वर्ष 2025

जमालु

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अंजलि सिंह तोमर, गौरव सिंह तोमर, इन्दर पाल सिंह तोमर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव सिंह तोमर, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान एजीए श्री अजय सिंह को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदक जमालू की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 134 of 2025, धारा 231 एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना हाफिजपुर, जनपद हापुड़ में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उन्हें इसी प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह 31.8.2025 से जेल में बंद हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था। सह-आरोपी फुकरान के इकबालिया बयान के आधार पर उसका नाम रिकॉर्ड में सामने आया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घायल मंसाद को गोली चलाने की भूमिका आवेदक के खिलाफ जिम्मेदार ठहराई गई है और उक्त तथ्य सह-आरोपी फुकरान के इकबालिया बयान के आधार पर रिकॉर्ड में आया है, जिसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और इसी तरह खतना किए गए सह-आरोपी फुकरान को नीचे की अदालत द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहाई के प्रकरण में उसके न्याय के रास्ते से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जमानत की मांग की गई है।

इसके विपरीत ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर सका। उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि के प्रकरण में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया प्रकरण, लेकिन प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के लिए एक प्रकरण बनाया जाता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **जमालू**, जो उपर्युक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/न ही डरायेगा और मुकदमे में सहयोग नहीं करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट नहीं दी जाती है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026



रवि प्रकाश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।